माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website-msuniversity.ac.in Email ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 34 / 09 / एन0एस0एस0 / एम.एस.यू. / 2024–25 दिनांक: 28 / 06 / 2024

सेवा में,

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

अनुस्मारक

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चैक / कैश से न किये जाने तथा केवल PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन–देन की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अदगत कराना कि कार्यालय पूर्व पत्रांक सं0 19 / 09 / एन0एस0एस0 / एम0 एस0यू0 / 2024–25 दिनांकः 01.06.2024 एवं डॉ0 मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा कोष्ठक विभाग) लखनऊ के पत्र सं0–296 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2024 दिनांकः 25.06.2024 के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चैक / कैश से न किये जाने तथा केवल PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन–देन की अनुमति नहीं दिये जाने के हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चैक / कैश से न किये जाने तथा केवल PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन–देन की अनुमति नहीं किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. वित्त अधिकारी कार्यालय को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
03. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
04. डा0 मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
05. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

120/NSS
26/6/24

अनुस्मारक
अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–296/सत्तर–रा0से0यो0को0–2024

प्रेषक,

डॉ0 मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कुलसचिव,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2– उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा कोष्ठक) विभाग लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2024

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय द्वारा CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चेक/कैश से न किये जाने तथा केवल PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन–देन की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शसन के पत्र संख्या–254/सत्तर–रा0से0यो0को0–2024 दिनांक 29.05.2024 एवं शसन के पत्र संख्या–263/सत्तर–रा0से0यो0को0–2024 दिनांक 04.06.2024 तथा श्री अरविन्द कुमार AGM GBU/AutoBodics/GST/Pens Griev लखनऊ के ई–मेल पत्र दिनांक 04.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से समस्त कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मन्डल उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चेक/कैश से न किये जाने तथा केवल **PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन–देन की अनुमति नहीं दिये जाने** हेतु निर्देशित किया गया है।

2– वित्तीय वर्ष 2022–23 से भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (CNA) प्रणाली प्रारम्भ होने के कारण राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विश्वविद्यालय/माध्यनिक मण्डल द्वारा सामान्य एवं विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि का भुगतान सब्सिडरी खाता शून्य बैलेन्स (ZBSA) चालू खाता के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

3– वित्तीय वर्ष 2022–23 से भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (CNA) प्रणाली प्रारम्भ होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय एवं माध्यमिक मण्डल स्तर पर सब्सिडरी खाता (चालू खाता) शून्य धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में खोले जाने हेतु शासनादेश संख्या–317/सत्तर–रा0से0यो0को0–2022 दिनांक 01.11.2022 निर्गत किया गया था। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय एवं माध्यमिक मण्डल द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में सब्सिडरी खाता (चालू खाता) में शून्य धनराशि प्रदर्शित होना चाहिए।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चेक/कैश से न किये जाने तथा केवल **PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन–देन की अनुमति नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर (संलग्न **प्रपत्र के) CNA खातों में प्रदर्शित धनराशि को शून्य किया जाना है।** सहायक प्रबन्धक, भारतीय स्टेट **बैंक, लखनऊ** के उक्त पत्र दिनांक 04.06.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीएनए एकाउंट में

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत लेन–देन किये गये हैं। जो वित्तीय अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में संलग्न सूची से **अपने विश्वविद्यालय/माध्यमिक मण्डल के (ZBSA) चालू खाता चिन्हित कर उसके सम्मुख अंकित धनराशि को शून्य धनराशि प्रदर्शित करने की कार्यवाही करते हुए शासन को सूचित करें** तथा अपेक्षित सूचना तत्काल शासन के ई–मेल upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें। जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या– 296(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2024,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।
5– श्री अरविन्द कुमार AGM GBU/AutoBodies/GST/Pens Griev, लखनऊ को अवगतार्थ।
6– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।
7– वित्त अधिकारी/कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. से सम्बन्धित विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।